



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-87

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 269813 दिनांक 03/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Prem Lata Jain W/o RAMESH CHAND JAIN	श्रीमती विनिता माहेश्वरी पत्नी श्री हरिनारायण परवाल	45	366.66 SQ. YARD	Cooperative	NIRMAN NAGAR A-B Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	श्रीमती विनिता माहेश्वरी पत्नी श्री हरिनारायण परवाल द्वारा श्री बिल्डकॉन जरिये पार्टनर श्रीमती प्रेमलता चुग पत्नी श्री सुभाष चन्द चुग के पक्ष में निष्पादित मुख्तयारनामाआम, श्री बिल्डकॉन जरिये पार्टनर श्रीमती प्रेमलता चुग द्वारा श्री हीरालाल आहूजा पुत्र श्री चेतन दास आहूजा के पक्ष में दिनांक 15.10.2008 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं श्री हीरालाल आहूजा पुत्र श्री चेतन दास आहूजा द्वारा भूखण्ड सं. 45 क्षेत्रफल 366.66 वर्गगज में से उप विभाजित भाग क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज का श्रीमती प्रेमलता गोधा पुत्र श्री रमेश चन्द गोधा के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Prem Lata Jain W/o RAMESH CHAND JAIN को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |